


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रकीर्ण आदेश संख्या-108 / 2020

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित-19.04.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार से उत्पन्न असाधारण स्थिति और सम्बन्धित विभिन्न स्टैकहोल्डर की गम्भीर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-450/ इंफ्रा. सेल, इलाहाबाद दिनांकित-18.04.2020 के द्वारा जनपद न्यायालयों को दिनांक-20.04.2020 से खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक: पी0 एस0 (आर0 जी0)/44/2020 इलाहाबाद दिनांकित-19.04.2020 के द्वारा दिनांक-27.04.2020 तक निलम्बित कर दिया गया है।


अतः जनपद न्यायालय सुलतानपुर के समस्त न्यायालय, बाहय न्यायालय कादीपुर एवं बाहय न्यायालय मुसाफिरखाना दिनांक-27.04.2020 तक बन्द रहेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।


जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
19.04.2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी सुलतानपुर।
- ✓ 2- जिलाधिकारी अमेठी।
- 3- पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर।
- ✓ 4- पुलिस अधीक्षक अमेठी।
- 5- अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
- 6- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 7- बार एसोसिएशन कादीपुर।
- 8- बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
- ✓ 9- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सेन्टर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।


जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
19.04.2020